आर.एन. मित्तल के समक्ष, न्याय।

मानक चंद, ... प्रार्थी।

बनाम

सुरेश चंद जैन, ... प्रतिवादी।

1979 का सिविल संशोधन संख्या 324।

निर्णय लिया: 28 मार्च, 1979

सिविल प्रक्रिया संहिता* (1908 *का वी*) - *धारा* 35** बी - सुनवाई की अगली तारीख पर भुगतान नहीं किए गए पक्ष के ***खिलाफ दी गई लागत - भुगतान न किए जाने के तथ्य को अदालत के संज्ञान में नहीं लाया गया और मामले को अगली तारीख के लिए स्थगित कर दिया गया - ऐसा पक्ष - क्या अगली तारीख पर मामले पर मुकदमा चलाने से रोक दिया गया है।

और रूप:

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 35-बी को पढ़ने से यह स्पष्ट होता है कि यदि किसी पक्ष को इस आधार पर जुर्माना लगाया जाता है कि दूसरा पक्ष वह कदम उठाने में विफल रहा जो उसे किसी तारीख को उठाने के लिए संहिता के तहत आवश्यक था, या ऐसा कदम उठाने के लिए स्थगन प्राप्त किया (या सबूत पेश करने के लिए या किसी अन्य आधार पर, आदेश की अगली अगली तारीख को लागत का भुगतान उस पक्ष द्वारा मामले के आगे के अभियोजन के लिए एक शर्त मिसाल होगी, जिसके खिलाफ लागत दी गई थी। यदि वह ऐसा करने में विफल रहता है, तो उसे मामले पर मुकदमा चलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

शब्द "इस तरह के आदेश की तारीख के बाद अगली तारीख पर" महत्वपूर्ण हैं। यह धारा उस पक्ष को मामले पर मुकदमा चलाने से वंचित करती है यदि वह आदेश की तारीख के बाद अगली तारीख पर लागत का भुगतान करने में विफल रहता है। यह एक चरम दंड है और तब तक नहीं लगाया जाएगा जब तक कि मामला धारा के चार कोनों के भीतर न हो। यह भी अच्छी तरह से स्थापित है कि एक दंडात्मक धारा को सख्ती से माना जाना चाहिए। धारा के प्रावधान दंडात्मक प्रकृति के होने के कारण, वहां लागू होंगे जब लागत का भुगतान किया जाना है, इस तथ्य को अदालत के संज्ञान में लाया जाता है, इससे पहले कि लागत का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी पक्ष मामले में कदम उठाए। यदि उस तारीख को इसे अदालत के संज्ञान में नहीं लाया जाता है और पार्टी कदम उठाती है या सबूत पेश करती है, तो उसे अगली तारीख पर मामले पर आगे मुकदमा चलाने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। कारण यह है कि यदि इस तथ्य को संबंधित समय पर उनके ध्यान में लाया गया होता, तो वह लागत का भुगतान कर सकते थे।

(पैरा 3)

हरियाणा शहरी (किराया ***और बेदखली नियंत्रण***) ***अधिनियम***, 1973 की धारा **15 (5)** के तहत हिसार के किराया नियंत्रक श्री सुरेश चंद जैन की अदालत के **29*जनवरी***, **1979** के आदेश में संशोधन के लिए याचिका**,** जिसमें ***सुरेश चंद जैन द्वारा उचित किराए के निर्धारण के लिए आवेदन पर मुकदमा चलाने के अधिकार को रद्द करने के आवेदन को खारिज कर दिया गया था। उम्मीदवार।***

याचिकाकर्ता की ओर से आदर्श गोयल के वकील बीएस त्यागी ने पैरवी की।

प्रतिवादी की ओर से वकील एमसी जैन और वकील वीके जैन ने पक्ष रखा।

निर्णय

आर. एन. मित्तल, न्यायमूर्ति।–

(1) यह पुनरीक्षण याचिका प्रतिवादी द्वारा किराया नियंत्रक, हिसार के 29 जनवरी, 1979 के आदेश के खिलाफ दायर की गई है, जिसके तहत उन्होंने सुरेश चंद जैन, आवेदक द्वारा उचित किराए के निर्धारण के लिए आवेदन पर मुकदमा चलाने के अधिकार को रद्द करने के आवेदन को खारिज कर दिया था।

(2) संक्षेप में तथ्य यह है कि सुरेश चंद जैन ने मानक चंद प्रतिवादी के खिलाफ हरियाणा शहरी (किराया और बेदखली नियंत्रण) अधिनियम की धारा 4 के तहत उचित किराए के निर्धारण के लिए एक आवेदन दायर किया। किराया नियंत्रक ने याचिकाकर्ता के साक्ष्य के लिए विभिन्न तिथियां तय कीं लेकिन वह पूरे साक्ष्य पेश नहीं कर सका। अंततः याचिकाकर्ता के बयान के लिए 3 अक्टूबर, 1978 की तारीख तय की गई। उस तारीख को उन्होंने अतिरिक्त गवाहों को बुलाने का अनुरोध किया। विद्वान किराया नियंत्रक ने लागत के रूप में 15 रुपये के भुगतान के अधीन अनुरोध की अनुमति दी और मामले को 4 नवंबर, 1978 तक स्थगित कर दिया। उस तारीख को भी याचिकाकर्ता ने अतिरिक्त गवाह पेश नहीं किए क्योंकि वह खुद गवाह ोंं के कठघरे में पेश हुआ था। उन्होंने 3 अक्टूबर, 1978 को दी गई लागत का भी भुगतान नहीं किया। उनके अनुरोध पर मामले को फिर से 29 नवंबर, 1978 तक स्थगित कर दिया गया, जो लागत के रूप में 10 रुपये के भुगतान के अधीन था। स्थगित तिथि पर उन्होंने फिर से लागत का भुगतान नहीं किया जो 3 अक्टूबर, 1978 और 4 नवंबर, 1978 को दिया गया था। 19 दिसंबर, 1978 को, प्रतिवादी ने एक आवेदन दायर किया कि याचिकाकर्ता ने नागरिक प्रक्रिया संहिता की धारा 35 बी के तहत उचित किराए के आवेदन के अभियोजन के अपने अधिकार को खो दिया था क्योंकि वह लागत का भुगतान करने में विफल रहा था। रेंट कंट्रोलर ने आवेदन खारिज कर दिया। प्रतिवादी किराया नियंत्रक के उस आदेश के खिलाफ पुनरीक्षण याचिका में आया है।

(3) वर्तमान मामले में निर्धारण के लिए जो प्रश्न उठता है वह यह है कि यदि नागरिक प्रक्रिया संहिता की धारा 35 बी के तहत याचिकाकर्ता के खिलाफ जुर्माना लगाया जाता है, जिसका भुगतान सुनवाई की अगली तारीख पर नहीं किया जाता है और उस तारीख को मामला अदालत के संज्ञान में नहीं लाया जाता है, तो क्या उसे अगली तारीख पर मामले पर मुकदमा चलाने से रोक दिया जा सकता है। इस प्रश्न को निर्धारित करने के लिए, संहिता की धारा 35ख के उपबंधों का उल्लेख करना उचित होगा जो इस प्रकार है :-

"*देरी पैदा करने की* 35 बी लागत-

(1) यदि, किसी वाद की सुनवाई के लिए या उसमें कोई कदम उठाने के लिए निर्धारित किसी तारीख को, वाद में पक्षकार -

(ए) वह कदम उठाने में विफल रहता है जो उसे उस तारीख को लेने के लिए इस संहिता द्वारा या उसके तहत अपेक्षित था, या

(बी) ऐसा कदम उठाने के लिए या सबूत पेश करने के लिए या किसी अन्य आधार पर स्थगन प्राप्त करता है,

अदालत, दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए, एक आदेश दे सकती है जिसमें ऐसे पक्ष को दूसरे पक्ष को ऐसी लागतों का भुगतान करने की आवश्यकता होती है, जो अदालत की राय में, उस तारीख को अदालत में भाग लेने में उसके द्वारा किए गए खर्चों के संबंध में दूसरे पक्ष की प्रतिपूर्ति करने के लिए यथोचित रूप से पर्याप्त होगी, और ऐसी लागतों का भुगतान किया जाएगा, ऐसे आदेश की तारीख के बाद की अगली तारीख को, निम्नलिखित के आगे के अभियोजन के लिए एक शर्त मिसाल होगी-

(ए) वादी द्वारा मुकदमा, जहां वादी को ऐसी लागत ोंं का भुगतान करने का आदेश दिया गया था।

(बी) प्रतिवादी द्वारा बचाव, जहां प्रतिवादी को ऐसी लागतों का भुगतान करने का आदेश दिया गया था।

स्पष्टीकरण- जहां प्रतिवादियों या प्रतिवादियों के समूहों द्वारा अलग-अलग बचाव उठाए गए हैं, ऐसी लागतों का भुगतान ऐसे प्रतिवादियों या प्रतिवादियों के समूहों द्वारा बचाव के आगे के अभियोजन के लिए एक शर्त होगी, जैसा कि अदालत द्वारा ऐसी लागतों का भुगतान करने का आदेश दिया गया है।

(2) उपधारा (1) के अधीन भुगतान की जाने वाली लागत, यदि भुगतान की जाती है, तो वाद में पारित डिक्री में दी गई लागतों में शामिल नहीं की जाएगी; लेकिन, यदि ऐसी लागतों का भुगतान नहीं किया जाता है, तो ऐसी लागतों की राशि और उन व्यक्तियों के नाम और पते को दर्शाते हुए एक अलग आदेश तैयार किया जाएगा जिनके द्वारा ऐसी लागत देय है और इस तरह तैयार किया गया आदेश ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ निष्पादन योग्य होगा।

उपरोक्त धारा को पढ़ने से, यह स्पष्ट है कि यदि प्रतिवादी को इस आधार पर जुर्माना लगाया जाता है कि याचिकाकर्ता वह कदम उठाने में विफल रहा जो उसे किसी तारीख को लेने के लिए संहिता के तहत आवश्यक था, या ऐसा कदम उठाने के लिए स्थगन प्राप्त किया, या सबूत पेश करने के लिए या किसी अन्य आधार पर, आदेश की अगली अगली तारीख पर लागत का भुगतान याचिकाकर्ता द्वारा मामले के आगे के अभियोजन के लिए एक शर्त मिसाल होगी। यह आगे स्पष्ट है कि यदि वह ऐसा करने में विफल रहता है, तो उसे मामले पर मुकदमा चलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। शब्द "*इस तरह के आदेश की तारीख के बाद अगली तारीख पर*" महत्वपूर्ण हैं। (शब्दों को रेखांकित करके जोर दिया गया)। यह धारा याचिकाकर्ता को आदेश की तारीख के बाद अगली तारीख पर लागत का भुगतान करने में विफल रहने पर मामले पर मुकदमा चलाने से वंचित करती है। यह एक चरम दंड है और तब

तक नहीं लगाया जाएगा जब तक कि मामला धारा के चार कोनों के भीतर न हो। यह भी अच्छी तरह से स्थापित है कि एक दंडात्मक धारा को सख्ती से माना जाना चाहिए। धारा के प्रावधान, प्रकृति में दंडात्मक होने के नाते, लागू होंगे जहां लागत का भुगतान करने की तारीख पर, इस तथ्य को अदालत के ध्यान में लाया जाता है, इससे पहले कि लागत का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी पक्ष मामले में कदम उठाए। यदि उस तारीख को इसे अदालत के संज्ञान में नहीं लाया जाता है और पार्टी कदम उठाती है या सबूत पेश करती है, तो उसे अगली तारीख पर मामले पर आगे मुकदमा चलाने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। इस निष्कर्ष पर पहुंचने का कारण यह है कि यदि तथ्य को संबंधित समय पर उनके ध्यान में लाया गया होता, तो उन्होंने लागत का भुगतान किया होता। यह भी ध्यान देने योग्य है कि यदि किसी पार्टी को लागत का भुगतान नहीं किया जाता है, तो उसे उप-धारा (2) के तहत उन्हें वसूलने का अधिकार मिला है। सभी परिस्थितियों पर विचार करने के बाद, मेरी राय है कि वर्तमान मामले में, न्यायालय ने पुनरीक्षण याचिकाकर्ता मानक चंद के आवेदन को सही ढंग से खारिज कर दिया। इसलिए, किराया नियंत्रक के आदेश में हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं है।

(4) ऊपर दर्ज कारणों के लिए, पुनरीक्षण याचिका विफल हो जाती है और इसे लागत के रूप में बिना किसी आदेश के खारिज कर दिया जाता है। पक्षकारों को उनके वकील के माध्यम से 23 अप्रैल, 1979 को ट्रायल कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया जाता है।

एस.सी.के.

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

अभिनव गर्ग

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

फ़रीदाबाद, हरियाणा